न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00129 दायरा दिनांक : 22.12.2020

उनवान

1. बुद्ध सिंह आत्मज उदय सिंह, जाति राजपूत
2. करण बाई पुत्री उदय सिंह पत्नी धूल सिंह, जाति राजपूत
   अकवाम निवासीगण ग्राम गंगपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. विक्रम सिंह आत्मज बुद्ध सिंह, जाति राजपूत
2. रामू बाई पत्नी बुद्ध सिंह, जाति राजपूत
   अकवाम निवासीगण ग्राम रामठी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
3. प्रेम बाई बेवा मानसिंह (पुत्र उदय सिंह) जाति राजपूत
4. सुल्तान सिंह आत्मज उदय सिंह, जाति राजपूत
   अकवाम निवासीगण ग्राम गंगपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
5. अजब बाई पुत्री उदय सिंह पत्नी सुभान सिंह, जाति राजपूत
6. प्रेम बाई पुत्री उदय सिंह पत्नी रामसिंह, जाति राजपूत
   अकवाम निवासीगण ग्राम रामठी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
7. अर्जुन सिंह आत्मज उदय सिंह, जाति राजपूत, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2020/00130 दायरा दिनांक : 22.12.2020

उनवान

1. बुद्ध सिंह आत्मज उदय सिंह, जाति राजपूत
2. करण बाई पुत्री उदय सिंह पत्नी धूल सिंह, जाति राजपूत
   अकवाम निवासीगण ग्राम गंगपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. विक्रम सिंह आत्मज बुद्ध सिंह, जाति राजपूत
2. रामू बाई पत्नी बुद्ध सिंह, जाति राजपूत
   अकवाम निवासीगण ग्राम रामठी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
3. प्रेम बाई बेवा मानसिंह (पुत्र उदय सिंह) जाति राजपूत
4. सुल्तान सिंह आत्मज उदय सिंह, जाति राजपूत
   अकवाम निवासीगण ग्राम गंगपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
5. अजब बाई पुत्री उदय सिंह पत्नी सुभान सिंह, जाति राजपूत
6. प्रेम बाई पुत्री उदय सिंह पत्नी रामसिंह, जाति राजपूत
   अकवाम निवासीगण ग्राम रामठी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
7. अर्जुन सिंह आत्मज उदय सिंह, जाति राजपूत, निवासी गंगपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

20/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अभितोष आचार्य अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 30.08.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्ड़ी के प्रकरण संख्या – 40/दावा/2018 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2018 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 03.12.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गंगपुरा, तहसील पचपहाड़ संवत 2022 से 2025 में आराजी कुल 13 किता कुल रकबा 36 बीघा 4 बिस्वा स्थित थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्ड़ी ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2018 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 03.12.2020 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि तथा पत्रावली के विपरीत है तथा निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने तलबी प्रतिवादीगण की स्टेज पर ही प्रकरण को बिना सहमति पक्षकारान लोक अदालत में रखकर अपनी स्वेच्छा से सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों एवं लोक अदालत के नियमों की अनदेखी कर एक तरफा निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने अपने पति व पिता बुद्धसिंह के आधार पर आराजी पुश्तैनी बताते हुए वाद पेश किया, परन्तु बुद्ध सिंह को दावे में पक्षकार नहीं बनाया और बुद्ध सिंह के होते हुए पक्षकार बनाये बिना रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 का वाद चलने योग्य ही नहीं था। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने तलबी की स्टेज पर प्रकरण को लोक अदालत में रखकर पक्षकारान के द्वारा आवेदन राजीनामा प्रस्तुत न करने के बावजूद भी कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत में करने में त्रुटि की है। जबकि लोक अदालत में कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान की तलबी कर जवाबदावा लेकर व साक्ष्य लेकर प्रकरण का विधि पूर्वक तरीके से निस्तारण करना चाहिए। अपीलांट क्रम 2 ने खातेदार अर्जुनसिंह के हिस्से की आराजी दिनांक 13.12.2019 को उचित प्रतिफल अदा कर जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की है व कब्जा प्राप्त किया है। विवादित आराजी के मामले में वादीगण ने अपने को बुद्ध सिंह का पुत्र व पत्नी बताया है परन्तु बुद्ध सिंह के जीवित रहते हुए इनका कोई हक व अधिकार वादग्रस्त आराजी पर नहीं बनता है। जबकि बुद्ध सिंह आवश्यक पक्षकार था, जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को विवादग्रस्त आराजी में हिस्से के अनुसार खातेदार घोषित किया

30/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है परन्तु राजस्व रेकार्ड में वादीगण का कोई हिस्सा वाद दायरी दिनांक को रेकार्ड में नहीं था। इनको कितने हिस्से का खातेदार घोषित किया यह हिस्सा निर्णय व डिक्री में अंकित नहीं है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं होने से निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.12.2020 को तहसील पचपहाड़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 02.03.2020 को अवलोकन कर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव फाईनल डिक्री का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। बंटवारा प्रस्ताव भू अभिलेख निरीक्षक सर्किल आंवलीकला के द्वारा बनाया गया है। उक्त बंटवारा प्रस्ताव बनाते समय पक्षकारान को मौके पर नहीं बुलाया गया एवं बंटवारे के नियम 18 से 21 के बंटवारा प्रस्ताव नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.06.2018 में किसी भी पक्षकार के हिस्से का निर्धारण नहीं किया गया, उसके बावजूद भी भू अभिलेख निरीक्षक ने डिक्री में वादी/रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 का हिस्सा 1/7 मान लिया व अन्य खातेदारान का भी हिस्से का निर्धारण कर दिया जिसका भू अभिलेख निरीक्षक को कोई अधिकार नहीं है। विवादित मामले में अपीलांट बुद्ध सिंह को वादीगण विक्रय सिंह व रामू बाई ने जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया इसलिए अपीलांट विवादित मामले में उदय सिंह का पुत्र होने से प्रभावित पक्षकार होने के कारण उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। अपीलांट करण बाई ने अर्जुन सिंह खातेदार का हिस्सा क्रय किया है मुताबिक रजिस्ट्री में वर्णित हिस्सा एवं अपना स्वयं का हिस्सा वह भी पृथक करवाने की अधिकारिणी थी, जो नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2018 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 03.12.2020 निरस्त की जावे।

अपील सं. 2020/00129 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.12.2020 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. व धारा 151 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. स्वीकार किया जावे।

अपील सं. 2020/00129 प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एवं अपील सं. 2020/00130 प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से पूर्णतया साबित है कि प्रकरण में कार्यवाही तलबी के लिए जैरकार थी। दिनांक 05.04.2018 की आदेशिका से भी स्पष्ट है कि प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी हेतु सम्मन जारी करने का आदेश दिया था और अग्रिम तारीख 09.05.2018 को प्रकरण लोक अदालत केम्प सुलिया पर रख दिया और दिनांक 30.06.2018 को कानूनी प्रावधानों के विपरीत प्रकरण का लोक अदालत में निस्तारण कर दिया गया जो

30/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अवैधानिक है। लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करते हैं। विधिक राजीनामे के अभाव में सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकरण में बिना पक्षकार के राजीनामें के गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत में सी. पी. सी. के प्रावधानों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 247 उद्धरत की। अधीनस्थ न्यायालय ने तलबी की स्टेज पर ही निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध शजरे से यह साबित है कि आराजी शजरे में उदयसिंह की बतायी है एवं उदय सिंह के वारिसान का उल्लेख भी शजरे में किया गया है, परन्तु शजरे के मुताबिक बुद्ध सिंह अपीलांट को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया। इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित की है उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा है कि किस पक्षकार को कितने हिस्से का खातेदार घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2018 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 03.12.2020 निरस्त की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 247, आर.आर.टी. 2024 (1) पेज 67, 2023 (1) आर.आर.टी. पेज 585 की नजीरे उद्धरत की, जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2018 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 03.12.2020 यथावत रखी जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील सं. 2020/00129 प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. व धारा 151 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन तामील की स्थिति के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गई बल्कि पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखकर केवल उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादीगण को सम्मनों की समुचित तामील आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण को समुचित तामील होना प्रकट नहीं होता है।

30/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में बुद्धसिंह के वारिसान द्वारा पैतृक सम्पत्ति के आधार पर वाद प्रस्तुत किया, लेकिन बुद्धसिंह के जीवित होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाना त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध प्रकट होता है। विभिन्न माननीय न्यायालयों के निर्णयों से यह प्रकट होता है कि लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर ही निर्णय पारित हो सकते हैं। मेरिट के आधार पर निर्णय पारित नहीं किये जा सकते। बंटवारा रिपोर्ट पर भी पक्षकारों को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया। राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई।

अतः उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय में वाद में Non Joinder of parties का नुक्स होने, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तथा सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लंघन होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2020/00129 एवं 2020/00130 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2018 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 03.12.2020 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। इसके पश्चात् राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर फाईनल डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा